राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 64/21 दायर दिनांक 2.9.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. भगवत कंवर पत्नि स्वरूप सिंह
2. सुरेश सिंह पुत्र स्वरूप सिंह
3. कमलेश कंवर पुत्री स्वरूप सिंह
4. विमलेश कंवर पुत्री स्वरूप सिंह
5. सन्तोष कंवर पुत्री स्वरूप सिंह
6. सरोज कंवर पुत्री स्वरूप सिंह

सर्वजाति राजपूत, सर्वनिवासीगण ग्राम गुढ़ा, तहसील नावां जिला नागौर

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 वास्ते खातेदारी उद्घोषणा एवं धारा 136 रा–भू0रा0अधि0 1956 राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती बावत्।

निर्णय दिनांक 28.02.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की स्वामित्व, आधिपत्य एवं संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम झाग पटवार हल्का झाग भू–अ0नि0 क्षेत्र कोटड़ी तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमावन्दी अनुसार खाता संख्या नया 207 के ख0न0 181 रकवा 8.4945 है0 है जिसमें राजस्व रिकार्ड अनुसार वादीगण के नाम हिस्सा दर्ज है उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में वादीगण के पति/पिता का नाम सरूप सिंह दर्ज हैजो वादीगण के पति/पिता का नाम सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश सरूप सिंह का इन्द्राज हो गया है जब कि वादीगण के पति/पिता का सही एवं वास्तविक नाम स्वरूप सिंह पुत्र बालसिंह है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति/पिता का सहवन से लिपिकीय त्रुटि से गलत नाम सरूप सिंह के स्थान पर वादीगण के पति/पिता का सही एवं वास्तविक नाम स्वरूप सिंह का इन्द्राज करवा कर भगवत कंवर पत्नि स्वरूप सिंह, सुरेश सिंह पुत्र स्वरूप सिंह, कमलेश कंवर पुत्री [illegible], सरोज कंवर पुत्री स्वरूप सिंह, विमलेश कंवर पुत्री स्वरूप सिंह, सन्तोष कंवर [illegible] स्वरूप सिंह का इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहते है। जिसक[illegible] स्वरूप [illegible]रवा कर घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करवा कर वादीगण के पति/पिता का [illegible] नाम सरूप सि[illegible] स्थान पर स्वरूप सिंह का इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर इन्द्राज करवाना चाहते है। [illegible] परिवार राशन [illegible] आदि दस्तावेजों में वादीगण के पति/पिता का नाम स्वरूप सिंह दर्ज है तथा वादीगण के पति/पिता के आधार कार्ड में व परिवार राशन कार्ड में नाम स्वरूप सिह पुत्र बालसिंह दर्ज है। वादीगण के पति/पिता का सही एवं वास्तविक नाम स्वरूप सिंह पुत्र बालसिंह है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 15:36:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

वादीगण की कृषि भूमि में सरूप सिह गलत नाम अंकित हो जाने से किसान कार्ड वनवाने, कृषि भूमि के विकास, सुधार , मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वादग्रस्त कृषि आराजी में अपने हिस्से पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमावन्दी की नकलें लेकर बैंक गये तो बैंक के अधिकारियों ने वादीगण की जमीन की जमाबन्दी व वादीगण के पहचान के दस्तावेजों को देखकर वादीगण को कहा कि उक्त कृषि भूमि में तुम्हारे पति/पिता का नाम सरूप सिंह है तथा तुम्हारे पहचान दस्तावेज आधार कार्ड में पति/पिता का नाम स्वरूप सिंह है। इस कारण बैंक लोन देने में असक्षम है। इस कारण वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती करवाने हेतु न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी का तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी को सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाव पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम झाग की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार संवत 2072–75 जमावन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 207 में ख0न0 181 रकवा 8.4945 है0 भूमि भगवत कंवर पत्नि सरूप सिंह हि0 1/45, सुरेश सिंह पुत्र सरूप सिंह हि0 1/45, कमलेश कंवर पुत्री सरूप सिंह हि0 1/45, विमलेश कंवर पुत्री सरूप सिंह हि0 1/45, सन्तोष कंवर पुत्री सरूप सिंह हि0 1/45, सरोज कंवर पुत्री सरूप सिंह हि0 1/45 जाति राजपूत सा0 गुढ़ा खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वकील वादी संख्या 2 की ओर से वादी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिस पर वादी के बयान लिये गये।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र (वादीगण के पति/पिता), ग्राम पंचायत रूपनगढ़ का प्रमाण पत्र के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम झाग के ख0न0 181 रकबा 8.4945 है0 भूमि में वादीगण के दर्ज नाम भगवत कंवर पत्नि सरूप सिंह, सुरेश सिंह पुत्र सरूप सिंह हि0, कमलेश कंवर पुत्री सरूप सिंह, विमलेश कंवर पुत्री सरूप सिंह, सन्तोष कंवर पुत्री सरूप सिंह, सरोज कंवर पुत्री सरूप सिंह के स्थान पर भगवत कंवर पत्नि स्वरूप सिंह, सुरेश सिंह पुत्र स्वरूप सिंह हि0, कमलेश कंवर पुत्री स्वरूप सिंह, विमलेश कंवर पुत्री स्वरूप सिंह, सन्तोष कंवर पुत्री स्वरूप सिंह, सरोज कंवर पुत्री स्वरूप सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़,अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 15:36:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)